इकाई–VII

अध्याय–16

लोक प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण
(Legislative Control Over Public Administration)

संसदीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका (संसद) सैद्धांतिक रूप से संघ प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। प्रशासन संविधान के अधीन एवं संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही चलाया जाता है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही संसद द्वारा प्रशासन के उद्देश्यों को इंगित किया जाता है। संसदीय नियंत्रण के अभाव में प्रशासकीय क्रियाओं में उचित समन्वय पाना संभव नहीं है। नौकरशाही के विकृत रूप हो जाने पर सामान्य जनता को कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की असफलता, अनियमितता, अकार्यकुशलता एवं कमियों का आरोप अन्त में मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद् के ऊपर ही आता है। अतः प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण आवश्यक है। संसद द्वारा यह नियंत्रण मंत्रिपरिषद के माध्यम से रखा जाता है :

संघीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित तरीको से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है :

(i) प्रश्न पूछकर (By asking questions): संसद के प्रत्येक सदस्य को प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रश्नों की अग्रिम सूचना संसदीय सचिव को दी जाती है। अध्यक्ष नियमानुसार प्रश्नों को उत्तर देने के लिए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये प्रश्न सरकार के प्रशासकीय दायित्वों से सम्बन्धित होते हैं। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(अ) तारांकित प्रश्न (Starred Questions): ये वे प्रश्न है जिनका उत्तर प्रश्नोत्तर काल में मंत्री महोदय मौखिक रूप से देते हैं एवं इनके सम्बन्ध में मूल प्रश्नकर्त्ता व अन्य सदस्य पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं।

(ब) अतारांकित प्रश्न (Un Starred Question) : इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से सदन में नही दिये जाते हैं एवं पूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। इनके उत्तर सदन की टेबिल पर रखवा दिये जाते हैं।

विपक्ष के सदस्य मुख्य रूप से प्रश्न पूछने के अधिकार के माध्यम से प्रशासन की कमियों को उजागर करते हैं एवं प्रशासन से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से प्रशासकीय अक्षमता एवं अकार्य कुशलता को सदन एवं जनसाधारण के सम्मुख लाने का प्रयास किया जाता है।

(2) काम रोको प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion): संसद के अधिवेशन के दौरान कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना घटित हो जावे, जिसकी ओर सरकार का ध्यान तत्काल ही आकर्षित किया जाना आवश्यक हो तो सदस्यों द्वारा कामरोको प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव सदन के निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करके उस महत्त्वपूर्ण घटना पर विचार विमर्श करने हेतु रखे जाते हैं। यदि सदन कामरोको प्रस्ताव की अनुमति दे देता है तो यह माना जाता है कि सदन का बहुमत उस समस्या को गंभीर मानता है। आम तौर पर कामरोको प्रस्ताव सफल नहीं होते हैं, फिर भी सरकार तथा जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने का यह एक माध्यम है।

(3) राष्ट्रपति के भाषण पर बहस (Debate on Inagural Speech of the President): लोकसभा के चुनाव के बाद जब सदन की पहली बैठक होती है, उस समय राष्ट्रपति लोकसभा में अपना अभिभाषण करता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार के अभिभाषण मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें सरकार की नीतियों एवं क्रियाकलापो के विषय में प्रकाश डाला जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्णित मुद्दों पर वाद विवाद किया जाता है। सरकार की नीतियों के पक्ष व विपक्ष में तर्क–वितर्क किये जाते हैं। इन सबकी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, जिससे जनमत प्रभावित होता है।

(4) बजट पर वाद–विवाद (Debate on Budget): संसद में बजट पारित करने हेतु पृथक से सत्र बुलाया जाता है। बजट प्रस्तुतीकरण के पश्चात् बजट पर सामान्य वाद–विवाद मंत्रालय विशेष की माँगों पर वाद–विवाद एवं फाइनेंस बिल आदि पर वाद–विवाद किया जाता है। मंत्रालय विशेष की माँगों पर वाद–विवाद के समय मंत्रालय की प्रशासकीय एवं वित्तीय नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन की आलोचना की जा सकती है। फाईनेंस बिल पर बहस के समय सदस्य सामान्य रूप से प्रशासन सें संबंधित किसी भी मुद्दे को वाद–विवाद के लिए उठा सकते हैं अर्थात् सरकार के किसी भी नीति अथवा प्रशासकीय आदेश की

विवेचना की जा सकती है।

(5) वित्तीय नियंत्रण (Financial Control) : सदन विभागों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है

(अ) लोकसभा की प्राक्कलन समिति (Estimate Committee of Lok Sabha): इस समिति को "स्थायी मितव्ययता समिति" भी कहा जाता है क्योंकि यह सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। इस समिति के सदस्य एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किये जाते हैं। समिति के प्रमुख कार्य हैं:–

(i) संगठन में सुधार, प्रशासन में सुधार एवं खर्च कम करने हेतु सुझाव देना।

(ii) अनुमान प्रस्तुत करने के लिये प्रपत्र का सुझाव।

(iii) निर्धारित नीतियों हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का सुझाव।

(iv) प्रशासन में कुशलता एवं मितव्ययिता लाने हेतु वैकल्पिक नीतियों के विषय में सुझाव देना।

(ब) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (Committee on Public Under takings): इस समिति में लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं –

(i) सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करना।

(ii) सदन या सदन के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये गये विषयों की जाँच करना।

(स) लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) : इस समिति में भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख कार्य हैं।

(i) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दी गयी लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करना।

(ii) भारत सरकार के व्यय के लिए निर्धारित राशि के लेखाओं की जाँच करना अर्थात संसद द्वारा प्राधिकृत रूप और निर्धारित प्रयोजन के लिए ही व्यय किया है या नहीं इस बात की जाँच करती है।

(iii) सदन द्वारा आवंटित धन राशि के अतिरिक्त व्यय करने पर उसकी औचित्यता के विषय में जाँच कार्य करती है।

(iv) वित्तीय मामलो में अपव्यय भ्रष्टाचार एवं कार्यचालन में कमी सम्बन्धी किसी प्रमाण की भी खोज करती है।

(v) खर्च उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिन्हें इनके लिये अधिकृत किया गया है। इसकी जाँच करती है।

(6) जन महत्व के आवश्यक मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना (Calling Attention Notice) अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से कोई भी सदस्य मंत्री महोदय से जन महत्त्व के आवश्यक विषय पर बयान देने हेतु आग्रह कर सकता है। सामान्यतः ऐसे विषय घटना के दिन या घटना की जानकारी के समय उठाये जाते हैं। मंत्री महोदय के बयान के बाद सदस्य उनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

(7) आधे घण्टे की चर्चा (Half an Hour Discussion): जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में निर्धारित तीन दिन, बैठक के अन्तिम आधे घण्टे में की जा सकती है। ये विषय पर्याप्त लोक महत्त्व के होने चाहिए एवं इसकी सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए। इस प्रकार के विषयों पर मतदान नहीं होता है। नोटिस देने वाला सदस्य संक्षेप में विषय चर्चा करता है एवं मंत्री संक्षेप में ही इन विषयों का उत्तर दे देते हैं अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य गण स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं।

(8) अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion): मंत्रिमण्डल के विरूद्ध सदन में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सदन की अनुमति ली जाती है। सदन की अनुमति प्राप्त होने की तिथि से दस दिन के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव पर वाद–विवाद होता है। सदस्यों के भाषण के पश्चात् प्रधानमंत्री अपनी सरकार पर लगाये गये आरोपों का उत्तर देता है एवं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव के समय अध्यक्ष द्वारा सभी दलों को बोलने हेतु समय निर्धारित किया जाता है। वाद विवाद की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार के प्रस्तावों पर सदन में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है।

व्यवस्थापिका के नियंत्रण की सीमाएँ (Limitations of Legislative Control):

यद्यपि व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के विभिन्न तरीके निर्धारित किये गये हैं लेकिन इस नियंत्रण की कुछ सीमाएं होती है जिनके कारण व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण दिन प्रतिदिन कम प्रभावी होता जा रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं :

(i) संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाना : संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री बहुमत दल के सदस्य होते हैं। तथा ये प्रमुख विभागों के प्रधान होते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में प्रशासनिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन होता है। सदन में इनका बहुमत होता है। अतः व्यवस्थापिका प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाती है।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुनः निर्वाचन का भय : संसदीय शासन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अतः मंत्रिमण्डल के सदस्यों को भय बना रहता है। कि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा और लोकसभा भंग होने पर पुनः निर्वाचन होंगे। अतः सदन के सदस्य कार्य काल से पहले निर्वाचन नहीं चाहते हैं और अनिच्छा होते हुए भी सरकार के निर्देशानुसार सदन में मतदान करते हैं।

(iii) कठोर दलीय नियंत्रण : संसदीय शासन में व्यवस्थापिका के सदस्यों पर कठोर दलीय नियंत्रण होता है। अतः सदस्यगण दलीय निष्कासन के भय से दल के निर्देशानुसार मतदान करते हैं।

(iv) व्यवस्थापिका के सदस्यों का लाभ प्राप्ति हेतु सरकार का समर्थन : व्यवस्थापिका के सदस्य प्रधानमंत्री व मंत्रिमण्डल का समर्थन करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के लाभ उठाते हैं। अतः लाभ प्राप्ति हेतु अनेक सदस्य सरकार का समर्थन करते हैं।

(v) संसद के पास पर्याप्त समय का अभाव : व्यवस्थापिका का अधिकांश समय सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श में ही व्यतीत हो जाता है। इस कारण सदस्यो को व्यक्तिगत विचार–विमर्श का अवसर बहुत कम मिल पाता है।

(vi) दक्ष कर्मचारियों का अभाव : संसद सदस्य विशेषज्ञ न होने के कारण प्रशासन सम्बन्धी जानकारी गहराई से नहीं रखते है न ही प्रशानिक जटिलताओं को विस्तृत रूप में सरलता पूर्वक समझ पाते हैं। इस कारण अनेक बार प्रशासन की रचनात्मक आलोचना नहीं कर पाते हैं। निराधार व अनावश्यक आलोचना के भय से प्रशासक स्वतंत्रता पूर्वक एवं निष्पक्ष कार्य करने से भयभीत रहता है।

उपर्युक्त सभी कारणों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण कम प्रभावी होता जा रहा है। प्रशासन को प्रभावशाली नियंत्रण में रखने के लिए संसद के पास न तो पर्याप्त समय रहता है और न ही दक्ष कर्मचारी। दलीय नियंत्रण भी सरकार को संसदीय नियंत्रण से बचाये रखता है। इन सभी बातों के होते हुये भी भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य एक सीमा तक सफलतापूर्वक कर रही है। संसदीय नियंत्रण को गरिमा पूर्ण बनाये रखने हेतु भारत में ब्रिटेन की तरह इस प्रकार की परम्परायें विकसित करने की आवश्यकता है जिसके आधार पर लोक प्रशासकों के अकार्यकुशल, पक्षपात पूर्ण आचरण एवं भ्रष्टाचार व गलत निर्णयों को नियंत्रित किया जा सके। संसद सदस्यों का यह दायित्व होता है कि वह लोक प्रशासकों व कर्मचारियों का अधिकारों के दुरूपयोग, निरंकुश व्यवहार व लोकहित विरोधी कार्यों पर नियंत्रण लगावें और इनकी निराधार व अनावश्यक आलोचना नहीं करे। निराधार व अनावश्यक आलोचना के भय से प्रशासन अपना कार्य करना बन्द कर देता है इस कारण प्रशासन की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इन सभी बातों के होते हुये भी प्रशासकीय क्रियाओं में उचित समन्वय बनाये रखने हेतु संसदीय नियंत्रण अपरिहार्य हैं। इस नियंत्रण के माध्यम से ही नौकरशाही को विकृत होने से बचाया जा सकता है एवं सामान्य जनता की परेशानियों एवं कठिनाइयों को कम किया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- संसदीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका सैद्धांतिक रूप से प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। मंत्रि–परिषद् संसद की समिति के रूप में काम करती है एवं लोकसभा के विश्वास पर्यन्त अपने पद पर बनी रहती है।
- संघीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण बनाये रखती है

  (i) प्रश्न पूछकर (ii) कामरोको प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव द्वारा (iii) राष्ट्रपति के भाषण पर वाद–विवाद (iv) बजट पर वाद–विवाद (v) वित्तीय नियंत्रण – यह निम्न लिखित समितियों के माध्यम से रखती है : (a) लोकसभा की प्राक्कलन समिति (b) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (c) लोकलेखा समिति (vi) जन महत्त्व के आवश्यक मामलों की ओरध्यान आकर्षित करना। (vii) आधे घन्टे की चर्चा (viii) अविश्वास प्रस्ताव।
- व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण कम प्रभावी होने के कारण : संसदीय व्यवस्था में प्रशासन पर नियंत्रण दिन–प्रतिदिन कम प्रभावी होता जा रहा है जिसके प्रमुख कारण हैं– संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होना, अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुनः निर्वाचन का भय, कठोर दलीय नियंत्रण, व्यवस्थापिका के सदस्यों का काम प्राप्ति हेतु सरकार का समर्थन,संसद के पास पर्याप्त समय का अभाव, और दक्ष कर्मचारी न होना।
- उपर्युक्त कारणों से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण कम प्रभावी होता जा रहा है। संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाये रखने हेतु ब्रिटेन की तरह कुछ परम्पराएँ विकसित करना अनिवार्य है।

• संसद सदस्यों का यह दायित्व है कि प्रशासन लोकहित विरोधी कार्यों पर नियंत्रण लगायें एवं प्रशासन की निराधार व अनावश्यक आलोचना न करें।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

(1) मंत्रि–परिषद् अपने पद पर बनी रहती है :
(अ) संसद के विश्वास पर्यन्त (ब) लोकसभा के विश्वास पर्यन्त
(स) राज्य सभा के विश्वास पर्यन्त (द) राष्ट्रपति के विश्वास पर्यन्त ( )

(2) लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला प्रथम अभिभाषण तैयार किया जाता है :
(अ) संसद सदस्यों द्वारा (ब) राष्ट्रपति द्वारा
(स) लोकसभा द्वारा (द) मंत्रिपरिषद द्वारा ( )

(3) व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है :
(अ) प्रश्न पूछकर (ब) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा
(स) वित्तीय निंयत्रण द्वारा (द) उपरोक्त सभी ( )

(4) संसदीय शासन में कार्यपालिका का गठन किया जाता है :
(अ) व्यवस्थापिका में से (ब) राष्ट्रपति द्वारा
(स) स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा (द) निर्वाचक मण्डल द्वारा ( )

(5) काम रोको प्रस्ताव एवं स्थगन प्रस्ताव कब लगाया जाता है ?
(अ) चुनाव से पहले (ब) चुनाव के बाद
(स) संसद अधिवेशन के दौरान (द) संसद सत्र के बाद ( )

(6) राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है ?
(अ) स्वयं राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति
(स) मुख्य सचिव (द) मंत्रिमण्डल ( )

(7) अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है ?
(अ) मंत्रिमण्डल (ब) राष्ट्रपति
(स) उपराष्ट्रपति (द) लोक सभा अध्यक्ष ( )

(8) वित्तिय नियंत्रण करने वाली समिति है :
(अ) लोक लेखा समिति (ब) लोक प्राकक्लन समिति
(स) सरकारी सेवा उपक्रम संबधी समिति (द) उपर्युक्त सभी ( )

(9) व्यवस्थापिका में कौन कौन होते हैं ?
(अ) राज्यसभा सदस्य (ब) लोकसभा सदस्य
(स) दोनों के सदस्य (द) दोनो ंही नही ( )

अति–लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को किन दो भागों में विभक्त किया गया है?

(2) संसद में पूछे गये प्रश्न जिनका उत्तर प्रश्नोत्तर काल में मंत्री महोदय द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है ?

(3) संसद के अधिवेशन के दौरान कोई ऐसी महत्त्व पूर्ण घटना घटित हो जावे जिसकी ओर सरकार का ध्यान तत्काल ही आकर्षित किया जाना आवश्यक हो तो सदस्य संसद में कौनसा प्रस्ताव पेश करते हैं ?

(4) बजट पर वाद–विवाद के समय मंत्रालय विशेष की माँगों पर बहस के समय संसद सदस्य मंत्रालय की किस बात की आलोचना करते है ?

(5) लोकसभा की प्राक्कलन समिति को किस दूसरे नाम से जाना जाता है ?

(6) सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच संसद की किस समिति के द्वारा की जाती है ?

(7) मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन द्वारा नहीं लाया जा सकता है ?
(8) अविश्वास प्रस्ताव क्या है ?
(9) बजट पर वाद विवाद के द्वारा लोक प्रशासन पर कैसे नियन्त्रण रखा जाता है?
(10) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी लिखिये ?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के दो तरीके बताइये?
(2) लोकसभा की प्राक्कलन समिति के विषय में संक्षेप में बताइये?
(3) लोकलेखा समिति के प्रमुख कार्य बताइये?
(4) संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में संक्षेप मे बताइये ?
(5) व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर रखा जाने वाला नियंत्रण क्यों कम प्रभावी होता जा रहा है कोई दो कारण बताइये ?
(6) सरकारी उपक्रमों संबधी समिति के कार्यों का वर्णन करो ?
(7) संसद में आधे घण्टे की चर्चा लोक प्रशासन पर कैसे नियन्त्रण रखने में सहायक है ?
(8) बजट पर वाद विवाद के बारे में टिप्पणी लिखिये ?
(9) प्रश्न पूछकर लोक प्रशासन पर कैसे नियन्त्रण रखा जाता है ?
(10) जन महत्त्व के आवश्यक मामलों की ओर व्यवस्थापिका का ध्यान कैसे आकर्षित करते हैं ?

निबंधात्मक प्रश्न

(1) संघीय व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किन–किन माध्यमों से रखा जाता है। स्पष्ट कीजिए ?
(2) व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण कम प्रभावी होता जा रहा है। इसके प्रमुख कारण बताइये?
(3) लोक प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण का वर्णन करो ?
(4) व्यवस्थापिका की सीमाओं की आलोचनात्मक विवेचना किजिये ?
(5) संसदीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका (संसद) सैद्धान्तिक रूप से संघ पर नियंत्रण रखती है। वास्तविक रूप में नहीं। इसे समझाइये।

उत्तरमाला

1. (ब) 2. (द) 3. (द) 4. (अ) 5. (स) 6. (द) 7. (अ) 8. (द) 9. (स)